न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 36/2020 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रामकला पुत्री भगवानी जाति अहीर
2. भगवती पुत्री भगवानी जाति अहीर
3. विशम्भर पुत्र ज्यानीराम जाति अहीर
4. रामपत पुत्र ज्यानीराम जाति अहीर
5. दीपचन्द पुत्र ज्यानीराम जाति अहीर
6. उदय सिंह पुत्र ज्यानीराम जाति अहीर
7. रामपाल पुत्र ज्यानीराम जाति अहीर
8. चन्द्रकला पुत्री ज्यानीराम जाति अहीर
9. ग्यारसी देवी स्त्री शिम्भू दयाल जाति अहीर
10. कृष्ण कुमार पुत्र शिम्भू दयाल जाति अहीर
11. सुमन पुत्री शिम्भू दयाल जाति अहीर
12. जग्गो स्त्री लीलाराम जाति अहीर
13. अजीत पुत्र लीलाराम जाति अहीर
14. पवन पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:—— अपीलांट्स

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 अगर सिंह पुत्र हजारी लाल जाति अहीर
2 मुंशी पुत्र हजारी लाल जाति अहीर
3 वीना स्त्री सत्यवीर जाति अहीर
4 विक्रम पुत्र सत्यवीर जाति अहीर
5 जगमाल पुत्र तोताराम जाति अहीर
6 सूबेसिंह पुत्र छोटे लाल जाति अहीर निवासीयान दौलतसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:——— असल रेस्पो0

7 उप पंजीयक, नीमराना जिला अलवर

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 21.6.2018

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :— बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 29.11.2021

——— ———————

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1014/2015 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.6.2018, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 162 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा हाल नम्बर 613 रकबा 50 एयर वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड वादीगण प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ला0 21 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसके 1/4 भाग में से 1/3 भाग वादी प्रार्थी संख्या 01 का, 1/3 भाग वादी संख्या 2 का, 1/3 भाग वादी संख्या 3 व 4 का तथा 1/4 भाग में से 1/4 भाग वादी संख्या 5 का, 1/4 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 का, 1/4 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16

उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

का, स1/3 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 का, 1/4 भाग में से 1/3 भाग वादली संख्सया 6 का, 1/3 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 18 का व 1/3 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 का व 1/4 भाग में से 1/2 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 का व 1/2 भाग तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 का है । पक्षकारान इसी अनुसार काबिज है । उक्त आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गों तोताराम, हजारीलाल, छोटेलाल पिसरान पूरनचन्द व मु0 बसन्ती बेवा चिरन्जी लाल की बहिस्सें बराबर है । उनके बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में उक्त आराजी असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम दर्ज कर दी गई । अब वे गलत इन्द्राज की आड में आराजी को खुर्दबुर्द करना चाहते हैं । इसलिये उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 21.6.2018 के द्वारा वादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर असल प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि तहत अदालत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी होने पर अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । कानूनन खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । भू प्रबन्ध विभाग ने रेकार्ड एवं मौके अनुसार सही तौर पर हमारा नाम दर्ज किया है । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है,किन्तु गलत तौर पर तहत अदालत ने हमको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे

4 रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

6 पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी के सम्बन्ध में अधिकारों का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके लिये हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । हाल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 50 एयर पर भगवानी बेवा फूल, ज्यानीराम पुत्र रामनारायण को खातेदार दर्ज किया हुआ है । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित आराजी के खातेदार अपीलांट्स के बुजुर्ग है । उनके खातेदार दर्ज होने की स्थिति में धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में साबित है । यह एक सुस्थापित कानून है कि एक खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, परन्तु विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया और खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । ऐसी स्थिति में तहत अदालत का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 21.6.2018 निरस्त किया जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर